राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे II / 742-44 दिनांक :- 08 /11/2019

परियोजना निदेशक,
आरयूआईडीपी परियोजना प्रबन्धक इकाई (पीएमयू),
जयपुर ।

विषयः—श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II को कार्यमुक्त करने बाबत ।
प्रसंगः—आपका आदेश क्रमांक 9693—99 दिनांक 16.10.2019 के क्रम में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II द्वारा निदेशालय में अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना, भरतपुर का द्वितीय चरण दिनांक 30.09.2019 को समाप्त होने के कारण उक्त कार्यालय को समाप्त कर दिया गया है तथा उक्त कार्यालय में पदस्थापित श्री नरेन्द्र सिंह , सलेअ—II को आर.यूआईडीपी परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) जयपुर में लेखा शाखा में कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है । इस संबंध में लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग का नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जाता है और इस संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियां इस विभाग में निहित है । अतः कार्यालय समाप्त होने की स्थिति में कार्मिक श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II को इस निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित था ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ उप परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना, जयपुर को निर्देशित करावें कि श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II को अविलम्ब निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करें ।

भवदीय,

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे II / 742-44 दिनांक :- 08 /11/2019

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 उप परियोजना निदेशक (प्रशा.), आरयूआईडीपी परियोजना प्रबन्धक इकाई (पीएमयू),जयपुर को भेजकर लेख है कि श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II को अविलम्ब निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करें ।

3 श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ—II कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपको कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब कार्यभार छोडकर निदेशालय में उपस्थिति देवें ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक—II}